

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद संख्या- 1605/2022

सरकार बनाम अनीश।

अं० धारा- 354, 354 घ, 506 भा०दं०सं०

व 7/8 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 248/2022

थाना- बहादुरगढ़, जिला- हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांक:- 17.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। अभियुक्त अनीश जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त अनीश के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 354, 354 घ, 506 व पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त अनीश के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 16.12.2022 को पेश हो।

दिनांक:- 17.11.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद संख्या- 1605/2022

सरकार बनाम अनीश।

अं० धारा- 354, 354 घ, 506 भा०दं०सं०

व 7/8 पोक्सो अधिनियम।

मु०अ०सं० 248/2022

थाना- बहादुरगढ़, जिला- हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त अनीश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ-

प्रथम- यह कि दिनांक 11.09.2022 को बस्थान आम रास्त ग्राम पलवाड़ा, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ में आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के० के 16 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से छेड़छाड़ कर उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि दिनांक व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के० के 16 वर्ष की इच्छा के विरुद्ध गलत आशय से उसका पीछा किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 354 घ के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि दिनांक व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के० के 16 वर्ष को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के० के 16 वर्ष के ऊपर लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक:- 17.11.2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 17.11.2022

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।